

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052023-245775 CG-DL-E-09052023-245775

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] No. 279] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2023/वैशाख 19, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2023/VAISAKHA 19, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

सा.का.नि. 351(अ).—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप—धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ग' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उनका संबंध राइफलमैंन (सामान्य ड्यूटी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, असम राइफल्स में राइफलमैंन/राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' योद्धक पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स राइफलमैंन/राइफलवुमेन (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' योद्धक पद भर्ती नियम 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्व अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) म विनिर्दिष्ट हैं।

3031 GI/2023 (1)

4. निरर्हता. वह व्यक्ति. –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.— केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में भर्ती के चिकित्सीय परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी पुनरीक्षित मार्गदर्शक सिद्वांतों और उनके अतिरिक्त संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- 6. अधिवर्षिता.— इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति उस मास के अंतिम तारीख को जिसमें वह साठ वर्ष के अपरान्ह या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी समय—समय पर यथाविनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर लेता है सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु एक व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख को है, वह उस मास के पहले मास के अंतिम दिन को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपराहन बाद को सेवानिवृत्त होगा और उस किसी भी व्यक्ति को केंदीय सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की आयु से परे सेवा में विस्तार मंजूर नही किया जाएगा।

- 7. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।
- 8. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्व करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत. आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 9. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मं समय—समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद या अचयन
			स्तर	पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राइफलमैंन/राइफलवुमेन	32542* (2023)	साधारण केन्द्रीय सेवा	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं हाता।
(सामान्य ड्यूटी)।	*कार्यभार के आधार	समूह 'ग'	स्तर-3,	
	पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित,	(21700-69100/-)	
	रायमा ६।	अनुसचिवीय (योद्धक)।		

सीधं भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 23 वर्ष के बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है	(क) शैक्षिक अर्हताएं. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैद्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

भर्ती की पद्वति — भर्ती सीधी होगो या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना।	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधे भर्ती द्वारा टिप्पण 1: राइफलमैंन/ राइफलवुमैन (सामान्य ड्यूटी) पद की भर्ती के लिए दस प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों क लिए आरक्षित होगी। टिप्पण 2: सामान्य ड्यूटी की पांच प्रतिशत रिक्तियां राइफलवुमैन के लिए आरक्षित होगी।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स — अध्यक्ष; 2. लेफ्टिनेंट कर्नल, स्टाफ ऑफिसर—1 (प्रशासन), असम राइफल्स — सदस्य; 3. असम राइफल्स का कोई भी कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी — सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12011/आर आर/आरएफएन (जीडी)/एसओ(एआर)/2020] लित कपूर, उप सचिव (कर्मिक-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

- **G.S.R.** 351(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006) and in supersession of the Assam Rifles (Group 'C' combatised posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the post of Rifleman (General Duty), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' combatised post of Rifleman/Riflewomen (General Duty) in the Assam Rifles, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Assam Rifles, Rifleman/Riflewomen (General Duty), Group 'C' combatised post Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.** No person,
 - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Medical Fitness.** Medical examination for recruitment in the Central Armed Police Forces and Assam Rifles shall be done as per revised uniform guidelines for recruitment issued by the Ministry of Home Affairs and amendments thereof.
- **6. Superannuation.** –Every person appointed under these rules shall, retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of the month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years and no person shall be granted extension in service beyond the age of retirement on superannuation as prescribed by the Central Government from time to time.

- **7. Interpretation.** If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.
- **8. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **9. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rifleman/ Riflewomen (General Duty).	32542* (2023) * subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non- Ministerial (Combatised).	Level – 3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix.	Not applicable.	Between 18 and 23 years. (Upper age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and three

		years for Other Backward Classes. Also relaxable for
		Government servant and Ex-
		servicemen and other special categories of persons in
		accordance with the orders
		issued by the Central Government from time to time).
		Note 1: The upper age-limit
		shall be relaxable upto five
		years for the candidates of the
		first batch of Ex-Agniveers.
		Note 2 : The upper age-limit shall be relaxable upto three
		years for the candidates of Ex-
		Agniveers.
		Note 3: The crucial date for
		determining the age-limit shall
		be the closing date for receipt of application from candidates and
		not the closing date prescribed
		for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,
		Manipur, Nagaland, Tripura,
		Sikkim, Lahaul and Spiti district
		and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal
		Pradesh, Union territories of
		Andaman and Nicobar Islands, Union territory of Ladakh and
		Union territory Lakshadweep.
		•

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
 (a) Educational qualifications: Matriculation or Xth class pass from a recognised Board. (b) Physical and Medical Standard: Physical and Medical Standard will be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time. (c) The candidate must qualify the specified written test and physical efficiency test. Note: Ex- Agniveers shall be exempted from physical efficiency test (PET). 	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note 1: Ten percent of vacancies shall be reserved for Ex-Agniveers, for recruitment to the post of Rifleman/Riflewomen (General Duty). Note 2: Five percent of vacancies of overall General Duty personnel shall be reserved for Riflewomen.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	Not applicable.
	1. Colonel (Records), Assam Rifles – Chairperson;	
	2. Lieutenant Colonel {Staff officer -1(A)}, Assam Rifles - Member;	
	3. Any Junior Commissioned Officer of Assam Rifles – Member.	

[F. No. A-12011/RR/Rfn(GD)/SO(AR)/2020]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)